

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

No. 949]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

विदेश मंत्रालय

(कान्सुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सा.क्र.नि. 1444(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और कार्यालय सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कार्यालय सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ), (समूह 'ग' पद) के पदों की भर्ती के तरीके करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और श्रारंभ:- (1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. लागू होना:- ये नियम इनके साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर। -उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके साथ उपाबद्ध पे मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि। - उक्त पदों पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) के विनिर्देशों के अनुसार होंगी।

5. अनर्हता: कोई ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पत्नी/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया या विवाह का इकरार किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के संबंध में लागू परसनल ला के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो ऐसे व्यक्ति के मामले में इन नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति जिन मामलों में केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, उनमें कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति इन नियमों में कहीं यही शब्दों के केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	नया चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक	628* (2010) (कार्यभार के आधार पर यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' बराजपत्रित अनुसूचिनीय	स्तर 4 (25,500-81100 रुपए)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	नया सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, नया सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरा जाना है और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका संघटन क्या होगा?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती किए जाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में निष्पादित की गई 8 वर्षों की सेवा के साथ पे मैट्रिक्स में स्तर-2 में कमिष्ठ पासपोर्ट सहायक टिप्पणी: जब अपनी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, तब उनके बरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा तब तक उनकी सेवावधि वांछित अर्हकारी या पात्रता सेवा की श्रेणी	(पदोन्नति अथवा स्थायी होने के लिए) समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (1) कान्सुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में निदेशक (पासपोर्ट सेवा परियोजना) - अध्यक्ष (2) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उपसचिव - सदस्य (3) विदेश मंत्रालय में दो उपसचिव- सदस्य	लागू नहीं

अवधि या दो वर्षों की हो, और उन्होंने ऐसी वर्क या पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कर्मियों जिन्होंने पहले से ही ऐसी योग्य या बर्हकारी सेवा पूरी कर ली है के साथ अगले उच्च ग्रेड में परोक्ष के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफुल्लपूर्वक पूरी कर ली हो। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: नियुक्ति के उपरांत नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा निष्पादित कर चुके कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री हो।	(4) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग का एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक	648* (2017) (कार्यभार के आधार पर यह संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'अ' बराजपत्रित, अनुसूचितीय	स्तर 2 (रु 19,900-63,200)	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास या उसके समकक्ष योग्यता (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग स्पीड (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए पांच 'की डिप्रेशन' की औसत पर 10,500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समतुल्य)।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (iii) 5 प्रतिशत बरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा

(11)	(12)	(13)
(i) 10 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्तर 1 के ऐसे कार्यालय सहायकों में से भरी जाएंगी, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता रखते हैं और जो इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)।	पदोन्नति/स्थायी होने के लिए समूह 'अ' विभागीय पदोन्नति समिति (1) कौंसुली, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में निदेशक (पासपोर्ट सेवा परियोजना) - अध्यक्ष (2) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उपसचिव - सदस्य (3) विदेश मंत्रालय में दो उपसचिव - सदस्य	लागू नहीं

<p>टिप्पणी: यदि उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है जोकि परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर पारदर्शिता में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।</p> <p>(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे कार्यालय सहायकों में से बरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>(4) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग का एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कार्यालय सहायक (एमटीएस)	148* (2017) (कार्यभार के आधार पर यह संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' बराबर्पत्रित अनुसूचिवीय	स्तर -1 (रु. 18,000-56900)	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	<p>(स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>(क) कामगुली पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग में निदेशक (पासपोर्ट सेवा परियोजना) जो केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में प्रशासन के प्रभारी हो - अध्यक्ष</p> <p>(ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उपसचिव - सदस्य</p> <p>(ग) विदेश मंत्रालय में दो उपसचिव - सदस्य</p> <p>(घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग का एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं

[फा. सं. सीहीआर-II/801/06/2017]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (सी पी वी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CONSULAR, PASSPORT AND VISA DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2017

G.S.R.1444(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Office Assistant — except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Passport Assistant, Junior Passport Assistant and Office Assistant (Multi Tasking Staff), (Group 'C' Posts) in the Central Passport Organization of the Ministry of External Affairs.

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applications.**— These rules shall apply to the posts specified in columns (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**— The number of the said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the above said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Passport Assistant	628* (2017) (subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Level 4 (Rs. 25500 – 81100)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil	75 per cent by promotion; 25 per cent by Limited Departmental Competitive Examination

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Junior Passport Assistant in the Level-2 in Pay Matrix with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Junior Passport Assistant with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing a Bachelor's degree of a recognized university or its equivalent.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for (promotion or confirmation):</p> <p>(a) Director (Passport Seva Project) in the Consular, Passport and Visa Division - Chairman</p> <p>(b) One Deputy Secretary in-charge of the administration of the Central Passport Organization - Member</p> <p>(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs- Members</p> <p>(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Passport Assistant	648* (2017) (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Level 2 (Rs.19900-63200)	Selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note :- The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 85 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission (ii) 10 per cent by Limited Departmental Competitive Examination. (iii) 5 per cent by seniority-cum-fitness.

(11)	(12)	(13)
(i) 10% of the vacancies shall be filled by Limited Departmental Competitive Examination from amongst Office Assistant in Level-1 who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years of age for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes). Note: If more of such employees than the number of vacancies available qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Office Assistant who have rendered three years regular service in the grade.	Group 'C'- Departmental Promotion Committee (for confirmation/promotion) : (a) Director (Passport Seva Project) in CPV Division in charge of Administration of the Central Passport Organization - Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Office Assistant (MTS)	143* (2017) (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 (Rs.18000-56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

(7)	(8)	(9)	(10)
10th or equivalent pass from a recognized Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— (a) Director (Passport Seva Project) in Consular Passport and Visa Division in charge of Administration of the Central Passport Organization - Chairman	Not applicable

	(b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member	
--	--	--

[F. No. CDR-II/801/06/2017]

ARUN K. CHATTERJEE, Jr. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

RAKESH
SUKULDigitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2012.11.28 12:12:32
+05'30'